पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। अखबारी खबरें जादवपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय अध्ययन स्कूल द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है संखिया विषाक्तता के कारणों की जांच करने तथा जलस्रोतों से इसे दूर करने हेतु उपाय सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड, राज्य सरकार जल अन्वेषण निरीक्षणालय, उष्णकटिबंधीय औषधि स्कूल, कलकत्ता, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य और स्वच्छता संस्थान, जादवपुर विश्वविद्यालय तथा बर्दवान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ग) संखिया विषाक्तता की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) संखिया संदूषित कम चौड़ाई वाले नलकूपों को सील कर दिया गया है तथा इन नलकूपों का उपयोग करने वाले लोगों की संखिया विषाक्तता के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी दे दी गई है।

(2) संखिया को दूर करने हेतु 15 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर एक प्रथम चरण कार्य योजना बनाई गई है।

(3) राज्य सरकार ने हैंडपंपों और नलकूपों पर फिल्टर लगाकर संखिया को हटाने के काम को भी हाथ में लिया है।

नील गायों की संख्या में वृद्धि

2789. **चौधरी हरि सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर में नीलगायों की बढ़ती संख्या के कारण वहां के वन क्षेत्रों और उसके आसपास के नागरिकों का जीवन दूभर और कष्टदायी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के वनों को नीलगायों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में नीलगायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाए जाने की छिट-पुट घटनाओं की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) फसलों को नील गायों द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो, उससे मामला-दर-मामला आधार पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा ii(i) (ख) के उपबंधों के अधीन निपटा जाए।

Destruction of Gujarat Marine Park

2790. **SHRI DILIP SINGH JUDEV**: Will the Minister of **ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:**

(a) whether it is a fact that Reliance refinery could destroy Gujarat Marine Park at Moti Khavdi about 25 km. east of Jamnagar, potential devastation take place nearby fragile gulf of Kutch Marine National Park and sancturay and ecosystem streaching 200 km. from Okha to Jodiya on the Jamnagar coast according to W.W.F. Indian Investigation;

(b) if so, what action has been taken thereon by Central Government| State Government declared a National Sanctuary and National Park through its notification in 1980 and 1982;

(c) whether the R.R.L. was breaking environmental laws and misused the pollution standards;

(d) whether there is any adverse impact on natural environment projects if the R.R.L. project is commissioned by 1996 and;

(e) the action taken or to be taken against the R.R.L. to save Marine Park and National Park of Gujarat; and

(f) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Government have seen a report published in a Quarterly Newsletter of WWF-India in which apprehensions have been expressed about the future of the Marine National Park/Sanctuary, Jamnagar if the Oil Refinery proposed by Reliance Group of Industries is established at the proposed site.

(b) An area of 457.92 sq. kms. and 162.89 sq. kms. have been placed under legal protection as Marine Sanctuary and Marine National Park respectively in the Gulf of Kutch in Jamnagar District of Gujarat.

(c) to (f) Government have not yet taken a decision in the matter, as the requisite information like Environmental Impact Assessment, Risk Analysis reports etc. required for examining the project proposal from environmental angle are still awaited.

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव/पुर्ननिर्माण

2791. श्री रामदेव भंडारी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और पुर्ननिर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृति की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मांगी है ;

(ग) उन राजमार्गों तथा उपमार्गों के नाम क्या-क्या हैं जिनके निर्माण/पुर्ननिर्माण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं तथा इन कार्यों पर योजनावार-कितनी कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) सरकार लंबित योजनाओं के लिये अपेक्षित धनराशि मुहैया कराने के लिए क्या कर रही है और इनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/रख रखाव के लिये आबंटित राशि नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	विकास (लाख रुपये)	रखरखाव (लाख रुपये)
1990–91	800.00	1148.83
1991–92	1142.00	1012.30
1992–93	1385.00	1072.66

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के लो.नि.वि. द्वारा मांगी गयी राशि नीचे दी गयी है:

वर्ष	विकास (लाख रुपये)	रख रखाव (लाख रुपये)
1990–91	1860.00	1500.00
1991–92	2228.00	2088.00
1992–93	3159.00	2696.00

(ग) 2583.00 लाख रुपए राशि के आठ प्रस्ताव रा०रा० 23, 28 और 31 पर सड़क मार्गों तथा 121.09 लाख रुपए राशि के तीन प्रस्ताव रा०रा० 23 और 31 पर पुल कार्यों के बारे में हैं।

(घ) अनुमोदित कार्यों के लिए उनकी प्रगति तथा निधियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।